

18/5/21 पत्रावली आज पेश है।

तह. जंतारण द्वारा प्राप्ता भादिकोंक
नहीं लिखवाया गया है सख्त तामीर पत्र
लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 15/6/21
को पेश हो।

786
18/5/21

जिला कलेक्टर, बाली

15/6/21 पत्रावली आज पेश है।

तह. का. म. जंतारण के आदेश फा. 1350/30/2-6-21
के द्वारा सूचना उपलब्ध करा की जाना इलेक्ट्रिक है
इस सम्बन्ध में कमीलार्फ अग्रत पर रररवा-पाई लो
अपने व्यतीगत रक्रे से उप हो सकता है इस कारण
को नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 13/7/21
को पेश हो।

पत्र
21/11/21

जिला कलेक्टर, बाली

13/7/21 पत्रावली आज पेश है।

कमीलार्फ द्वारा यह अपील कानूनन धारा 19(1) सूचना
के अधिका अधिनियम के तहत प्राप्ता तह. जंतारण
से वांछित सूचना उपलब्ध करीगे हेतु निवेदन किया गया
तह. जंतारण को लिखा जाते या इन्होंने इस न्यायालय के
अधि फा. 1350/30/8-6-21 के द्वारा सूचित किया है कि
कमीलार्फ को वांछित सूचना उपलब्ध करा की है। इस सम्बन्ध में
कमीलार्फ को आदेश फा. 945/21-6-21 के अग्रत व्यतीगत पर
तह. द्वारा प्रेषित सूचना के संदर्भ में प्राप्ता करते हेतु एक
नोटिस दिया गया है इत नोटिस इस न्यायालय द्वारा
आदेश Regd. भेजा गया। कमीलार्फ आज कतु है
इससे जाहिर होता है कि कमीलार्फ को प्रेषित सूचना के
संदर्भ में उन्हें कुछ नहीं बताया है। इसी स्थिति में इस
अपील के संदर्भ में कोई भी प्रकार की कार्यवाही
कोषित नहीं रह जाती है अपील कमीलार्फ की स्थापना
दोष की जाती है।

पत्रावली इस न्यायालय में शुभा
होकर जम्मा से कर हो।

जिला कलेक्टर, बाली

